

10/11/17

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधीगण अनु०  
न्यायालय समय में वकील प्राधीगण को रुक-  
रुक कर तीन बार भावाज लगाई गई लेकिन  
कोई उप० नहीं हुआ। जिससे स्पष्ट होता है  
कि प्राधीगण व वकील अपने आवेदन दे प्रति  
गम्भीर नहीं हैं। अतः प्राधीगण का आवेदन  
अदम-पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया  
जाता है। पत्रावली दाखिल करते होकर खीय्या  
से लग हो।

उपनिर्णय अधिकारी  
चौहान